



Kwame Raoul
PROCURADOR GENERAL

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL STATE OF ILLINOIS

115 S. LASALLE STREET • CHICAGO, IL 60603
WWW.ILLINOISATTORNEYGENERAL.GOV

Civil Rights Hotline
1-877-581-3692

अपने अधिकारों को जानना

इलिनॉय के हर नवासी को संवधान से कुछ अधिकार मलि हुए हैं, चाहे उनकी नागरकिता या आप्रवासन की स्थति कुछ भी हो। नमिनांकति जानकारी वधि प्रवर्तन (पुलसि अधिकारियों आदि) से व्यवहार करते समय के आपके अधिकारों और उत्तर-दायत्वों को समझने में आपकी सहायता के लिए तैयार की गई है।

Your Rights/अपने अधिकारों

यद आपका आमना-सामना कसि पुलसि अधिकारी या आप्रवासन एजेंट से हो तो :

- यद आप संयुक्त राज् अमेरिका के नागरकि नहीं हैं और आपके पास आपके आप्रवासन दस्तावेज़ हैं, और यद आप्रवासन एजेंट उन्हें देखने की मांग करे तो आपको उन्हें वे दस्तावेज़ दिखाने होंगे।
- आपके पास मौन रहने का अधिकार है और आपके लिए कसि प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। आप पुलसि अधिकारी या आप्रवासन एजेंट से कह सकते हैं क आपने मौन रहने का वकिल्प चुना है।
- यद पुलसि अधिकारी या आप्रवासन एजेंट आपकी, आपके सामान की, आपकी कार की या आपके घर की तलाशी लेने को कहे, तो आप तलाशी पर सहमत दिने से इनकार कर सकते हैं।
- यद अधिकारी या एजेंट को यह वशिवास हो क आपके पास कोई हथियार है तो वे आपको थपकाते हुए नीचे लेटा/बैठा सकते हैं।

यद पुलसि अधिकारी या आप्रवासन एजेंट आपके घर आएं तो:

- यद पुलसि अधिकारी या आप्रवासन एजेंट आपके घर आए और उनके पास वारंट न हो तो आप दरवाजा खोलने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- यद आप अनशिचित हैं क अधिकारी, आप्रवासन एजेंट है या नहीं, तो आप पूछ सकते हैं क वे कसि एजेंसी के प्रतिनिधि हैं, और वशिष्ट रूप से क वे आईसीई से आए आप्रवासन एजेंट हैं या नहीं।
- आप अधिकारियों या एजेंटों से पूछ सकते हैं क वे वहां क्यों आए हैं।
- यद वे आपकी भाषा नहीं बोलते तो आप दुभाषणि की मांग कर सकते हैं।
- यद अधिकारी या एजेंट कहे क उनके पास वारंट है, तो आप उन्हें अंदर आने देने से पहले वह वारंट देखने की मांग कर सकते हैं।
- यद वारंट कसि न्यायालय द्वारा जारी कया गया है और उस पर कसि न्यायाधीश के हस्ताक्षर हैं, तो अधिकारी आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। यद दस्तावेज़ पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर नहीं हैं, तो आपके लिए उन्हें अंदर आने देना आवश्यक नहीं है। आप कह सकते हैं क: “आपको प्रवेश की अनुमतनिही है।”
- यद अधिकारी या एजेंट बलपूर्वक आपके घर में प्रवेश करने का प्रयास करें, तो प्रतिरोध न करें। आप उनसे कह सकते हैं क: “आपको प्रवेश की अनुमतनिही है। मैं तलाशी पर सहमत नहीं हूँ। मैं मौन रहना चाहता/ती हूँ। मैं जल्द से जल्द कसि वकील से बात करना चाहता/ती हूँ।”

यदि आप गरिफ्तार किए जाएं तो :

- गरिफ्तारी के प्रतिरोध का प्रयास न करें।
- आपके पास किसी वकील से बात करने का अनुरोध करने का अधिकार है।
- आपके पास दुभाषयि का अनुरोध करने का अधिकार है।
- याद रखें, आप किसी वकील से बात करने से पहले कुछ भी कहने या किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

अपने केस के बारे में नरिणय लेने या किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले आपके पास किसी आप्रवासन वकील से परामर्श करने का अधिकार है। यदि आप किसी दस्तावेज़ को पूरी तरह नहीं समझते हैं तो कोई भी आपको कोई अंतिम नरिणय लेने या उस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश नहीं कर सकता है।

महत्वपूर्ण अनुस्मारक

- अपने साथ सारे समय मान्य पहचान रखें। यदि आपके पास आप्रवासन दस्तावेज़ है, तो अपने मान्य आप्रवासन दस्तावेज़ और कार्य परमिट सारे समय अपने साथ रखें।
- अपना ए नंबर याद कर लें।
- अपने पास झूठे या जाली दस्तावेज़ न रखें, और पुलिस अधिकारी या आप्रवासन एजेंट को झूठे या जाली दस्तावेज़ कभी-भी न दें।
- आप कार चलाने के लिए उचित रूप से अधिकृत हैं यह सद्धि करने के लिए, यदि अनुरोध किया जाए तो, केवल टेम्प-रेरी वजिटिर्स ड्राइवर्स लाइसेंस (टीवीडीएल) दिखाएं। टीवीडीएल का उपयोग पहचान के प्रयोजन से नहीं हो सकता है।
- यदि पुलिस अधिकारियों या आप्रवासन एजेंटों के साथ आपका आमना-सामना होता है/आपकी मुठभेड़ होती है, तो आमना-सामना/मुठभेड़ के बारे में अधिकतम संभव जानकारी लख लें, ताकि यदि आपको लगे कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और आप शकियत दर्ज़ कराना चाहें तो वह जानकारी काम आए।

बेईमान आप्रवासन सेवा प्रदाता से सावधान रहें

- आप्रवासन सेवा पदात्ता वकील नहीं हैं और कानूनी सलाह नहीं दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए:
<https://illinoisattorneygeneral.gov/rights-of-the-people/civil-rights/immigration/>

अतिरिक्त संसाधन

राष्ट्रीय आप्रवासी न्याय केंद्र:

<http://www.immigrantjustice.org/know-your-rights-manuals-detained-immigrants>

अमेरिकन सविलि लबिर्टीज यूनियन:

<https://www.aclu.org/know-your-rights>

एटॉर्नी जनरल का सविलि राइट्स ब्यूरो (महाधक्ता का नागरिक अधिकार ब्यूरो) इलिनॉय के सभी नवासियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है।

एटॉर्नी जनरल का ऑफिस, ऑफिस से संपर्क करने वाले किसी भी व्यक्ति से आप्रवासन या नागरिकता की स्थिति से संबंधित जानकारी नहीं मांगता है।

भेदभाव अथवा उत्पीड़न की घटनाओं की सूचना देने के लिए एटॉर्नी जनरल की सविलि राइट्स हॉटलाइन को

1-877-581-3692.234 पर कॉल करें।